न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

रैफरेन्स प्रा0पत्र सं0 03 /2023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा

.......प्रार्थी

बनाम

चिरंजी पुत्र मीन्नू कौम चमार निवासी सांथा तहसील महवा जिला दौसा (फौत)

1/1 ओमप्रकाश पुत्र चिरंजी
1/2 रामसिंह पुत्र चिरंजी
1/3 कमला पुत्री चिरंजी
1/4 संतोष पुत्री चिरंजी
समस्त कौम चमार निवासी सांथा तहसील महवा जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

....अप्रार्थीगण

रैफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री रामोतार बैरवा, पुष्कर नारायण बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण (अनु0)

<u>निर्णय</u> दिनांक 3.09.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र रैफरेन्स इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) महवा ने ग्राम सांथा तहसील महवा के आराजी खसरा नंबर 1187 रकबा 0.41है. किस्म जमीन नदी, नाले संवत 2020 में राजस्व रिकार्ड में उर्ज होने से रैफरेन्स हेतु निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार महवा से ग्राम सांथा के खसरा नंबर 1187 की संवत 2020 की एकीकरण खतौनी संवत 2020 की तलब की गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को बहस हेतु बार–2 आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं होने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।
3. राजकीय अधिवक्ता ने तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रैफरेन्स के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि
   - ग्राम सांथा के आराजी खसरा नंबर 1187 रकबा 0.41है0 किस्म बारानी ए जो कि एकीकरण खतौनी संवत 2018 में गैर मुमकिन तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2050 में किस्म परिवर्तन कर सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। सिवायचक दर्ज होने से उक्त भूमि का स्थायी आवंटन चिरंजी पुत्र मीनू जाति चमार निवासी सांथा तहसील महवा को किया गया।
   - आवंटन अधिकारी के [illegible] पश्चात उक्त भूमि नामान्तरण सं. 117 वाके ग्राम सांथा खारिज किये जाने [illegible] संवत 2038 की जमाबंदी में खाता संख्या 354 पर गलत अमल किया गया है।
   - जमाबंदी संवत 2058–2061 [illegible] भूमि चिरंजी पुत्र [illegible] जातिज चमार निवासी सांथा तहसील महवा के नाम [illegible] रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

- भू प्रबंध विभाग द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन होने से आवंटन किया गया। भू प्रबंध विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। वर्तमान में उक्त खातेदार काबिज काश्तकार है।
- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन तालाब, नदी,नाले व जलोढ भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। आवंटन आदेश व खातेदारी अवैध होने से प्रभाव शून्य है।
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 रिट पिटीशन सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय/आदेश के अनुसार सरकार की मंशानुसार जलोढ भूमि को पूर्व की स्थिति में लाये जाने के लिए माननीय राजस्व मंडल राज0 अजमेर को रैफरेन्स फरमाया जावे।

4. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को बहस हेतु बार–2 आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम सांथा के आराजी खसरा नंबर 1187 रकबा 0.41है0 किस्म बारानी ए जो कि एकीकरण खतौनी संवत 2018 में गैर मुमकिन तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2050 में किस्म परिवर्तन कर सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। सिवायचक दर्ज होने से उक्त भूमि का स्थायी आवंटन चिरंजी पुत्र मीनू जाति चमार को किया गया। आवंटन अधिकारी के द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि नामान्तरण सं. 117 वाके ग्राम सांथा खारिज किये जाने पर भी संवत 2038 की जमाबंदी में खाता संख्या 354 पर गलत अमल किया गया है। जमाबंदी संवत 2058–2061 में उल्लेखित भूमि चिरंजी पुत्र मीनू जातिज चमार निवासी सांथा तहसील महवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबंध विभाग द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन होने से आवंटन किया गया। भू प्रबंध विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। वर्तमान में उक्त खातेदार काबिज काश्तकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन तालाब, नदी,नाले व जलोढ भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। आवंटन आदेश व खातेदारी अवैध होने से प्रभाव शून्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 रिट पिटीशन सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में भी जलोढ भूमि को पूर्व की स्थिति में लाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटित भूमि भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व गै0मु0 तलाई होने होने के कारण आवंटन योग्य नहीं थी। पूर्व पारित कार्यवाही अवैध व प्रभावशून्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार किया जाता है। रैफरेन्स माननीय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मंडल, राज0 अजमेर में दिनांक 6.10.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। तहसीलदार महवा को निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी पर रैफरेन्स का नोट जमाबंदी में अंकन करवाना सुनिश्चित करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:14 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 3 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:14 IST
Reason: SelfAttested